<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान</u>

पीठासीन अधिकारी – **डॉ. महेश कुमार कुमावत**
आर.जे.एस

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या – 167/2022(787/2016)
सीआईएस नंबर – 5817/2016
एफआईआर नंबर – 368/2016
पुलिस थाना – दूदू
सीएनआर नंबर – RJJD100003522016

राजस्थान राज्य बनाम अखिल कुमार मिश्रा

<u>अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता</u>

शिकायतकर्ता	इस्लाम खां पुत्र बसी खां, उम्र 34 साल, निवासी छप्या, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर।
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	अखिल कुमार मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद मिश्रा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 313 ए अनुकम्पा रेजीडेंसी दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पीछे शांति नगर दुर्गापुरा जयपुर, पुलिस थाना शिप्रापथ मानसरोवर, जिला जयपुर।
अधिवक्ता अभियुक्त	अधिवक्ता श्री उदय सिंह चौधरी।
अपराध की तिथि	22.9.2016
एफआईआर की दिनांक	24.9.2016
चालान पेश करने की दिनांक	5.10.2016
आरोप लगाने की दिनांक	5.10.2016
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	5.10.2016 16.3.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	16.3.2026
सजा आदेश देने की	निल

दिनांक, यदि हो	

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पीडब्ल्यू 1	मेवाराम	मैकेनिकल मुआयना कर्ता
पीडब्ल्यू 2	गुलाब खां	चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 3	ईस्लाम खां	चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 3	लालचंद	चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 4	कमरू	चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 5	रामनारायण	अनुसंधान कर्ता

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
निल	निल	निल
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 1	मैकेनिकल मुआयना
2	प्रदर्श पी 2	घटनास्थल का नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी 3	तहरीरी रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 3	धारा 161 सीआरपीसी के बयान गुलाब खां
5	प्रदर्श पी 4	प्रथम सूचना रिपोर्ट

7	प्रदर्श पी 5	फर्द जप्ती मोटरसाईकिल
8	प्रदर्श पी 6	फर्द जप्ती कार
9	प्रदर्श पी 7	फर्द जप्ती कागजात
10	प्रदर्श पी 8	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस
11	प्रदर्श पी 9	फर्द पंचायतनामा
12	प्रदर्श पी 10 लगायत 14	वाहन के फोटोग्राफ
13	प्रदर्श पी 15	धारा 161 सीआरपीसी के बयान लालचंद

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श दिनांक**	**विवरण**
नील	नील	नील

निर्णय **दिनांक– 16.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी के चाचा भोलू खां दिनांक 22.9.2016 को मोटरसाईकिल से लदेरा से दांतरी पडासोली होते हुए अपने गांव छप्या आ रहा था कि समय करीब 4.30 बजे शाम को उसका चाचा मोटरसाईकिल को लेकर एनएच–8 पर कृष्णा होटल के सामने पहुंचा तो पीछे से एक कार नंबर आरजे 14 सीआर 4984 का चालक अपनी कार को काफी तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके चाचा की मोटरसाईकिल के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण उसके चाचा के सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयी व एसएमएस अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई......इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना दूदू में प्रथम सूचना रिपोर्ट 368/2016 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। संपूर्ण अनुसंधान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए, भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला जयपुर में पेश किया गया। प्रस्तुत आरोप

पत्र व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि अभियुक्त को दिलाई गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए, भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रथमदृष्टया आधार होने से धारा 279, 304ए, भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 5.10.2016 को अभियुक्त के उपस्थित रहने पर, बाद अवलोकन पत्रावली अभियुक्त अखिल कुमार मिश्रा को धारा 279, 304ए, भारतीय दंड संहिता में आरोप सारांश की मौखिक विशिष्टियां सुनाई गई तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। कालांतर में यह प्रकरण अंतरित होकर विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत अभियुक्त को उसके विरुद्ध आई साक्ष्य के संबध में धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित कर बयान मुलजिम लेखबद्ध किये गये, जिस पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूंठा फंसाये जाने का अभिवाक् किया व साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.9.2016 को समय करीब 4.30 एनएच–8 पर कृष्णा होटल के सामने कार नंबर आरजे 14 सीआर 4984 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी के चाचा के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप परिवादी के चाचा भोलू खां की मृत्यु हो गई ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त को दंड की किस मात्रा से दंडित किया जावे, जिससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी ?

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को उक्त विचारणीय बिंदु संख्या 1 के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए, भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप युक्तियुक्त से संदेह से प्रमाणित करना है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 06 साक्षीगण पेश कर परीक्षित कराये गये हैं जिनकी साक्ष्य विवेचन इस प्रकार हैः–

सर्वप्रथम उक्त प्रकरण परिवादी ईस्लाम खां की सूचना पर संस्थित किया गया था जो कि प्रकरण पीडब्ल्यू–3 के रूप मे परीक्षित होकर मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि आज से 6 साल पहले उसके चाचा भोलू खां की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। उसका चाचा भोलू लदेरा से पडासोली मोटरसाईकिल से आ रहा था। वह जैसे ही शाम को 3–4 बजे पडासोली के पास पहुचा तो एक कार चालक जिसके नम्बर 4884 थे उसके टक्कर मार दी। जिससे उसके चोटें आयी व दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी। वह कार अजमेर की तरफ से आ रही थी। वाहन चालक वाहन को तेज गति से चलाकर लाया व उसके चाचा के टक्कर मार दी। यह एक्सीडेंट कार चालक की गलती से हुई थी। उसके चाचा की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गयी थी। घर में कोई नहीं था इसलिये दो दिन बाद उसने रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो प्रदर्श पी 3 है ए से बी हस्ताक्षर है। चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी 4 व नक्शा मौका प्रदर्श 5 है। कार को पुलिस ने जब्त किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 6 है। जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। फिर गवाह ने स्वतः कहा कि दुर्घटना कार संख्या 4984 के चालक की लापरवाही से हुई थे तथा जिरह में जिस दिन घ टना घटी उस दिन स्वयं को बेल्डिंग का कार्य करना बताते हुए स्वयं की आंखों से घटना नहीं देखने का कथन करता है तथा रिपोर्ट किसने लिखी यह भी पता नहीं होना बताया है।

7. गवाह पीडब्ल्यू–2 गुलाब खां ने साक्ष्य में कथन किया है कि आज से 6 साल पहले भोलू खां की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। भोलू लदेरा से मोटरसाईकिल से आ रहा था। वह जैसे ही शाम को 3 बजे पडासोली चौरो पर पहुंचा तो एक कार चालक ने उसके टक्कर मार दी जिससे उसके चोटें आयी व दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। वह कार अजमेर की तरफ से आ रही थी। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–2 है तथा जिरह में पुलिस द्वारा एक्सीडेंट के बारे में उससे कोई पूछताछ नहीं करना बताते हुए प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग व सी से डी भाग पुलिस को नहीं देना

बताया है।

8. गवाह पीडब्ल्यू–4 कमरू ने साक्ष्य में कथन किया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी–7 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे उक्त गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अभियोजन अधिकारी की जिरह में पुलिस ने उसके हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाने व किस बात के लिए कराये थे, उसे पता नहीं होना बताया है।

9. गवाह पीडब्ल्यू–3 लालचंद है जो कि प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अभियोजन अधिकारी की जिरह में कार संख्या आरजे 14 सीआर 4984 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाक मोटरसाईकिल को टक्कर मारी हो तो उसकी जानकारी में नहीं होना बताया है। साथ ही पुलिस बयान प्रदर्श पी–15 का ए से बी भाग गवाह ने नहीं देना बताया है।

10. गवाह पीडब्ल्यू–5 रामनारायण अनुसंधान अधिकारी है जिसने प्रकरण में की गई कार्यवाहियों के बारे में बताया है व संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्त अखिल कुमार मिश्रा के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर थानाधिकारी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने का कथन करता है। उक्त गवाह प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अभियोजन अधिकारी की जिरह में अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संजीव कुमार के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानने का कथन करता है।

11. गवाह पीडब्ल्यू–1 मेवाराम प्रकरण में मैकेनिकल मुआयना कर्ता है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.9.2016 को थाना दूदू पर कानि. चालक के पद पर था। उस दिन अभियोग संख्या 368/16 में जप्तशुदा कार संख्या आरजे 14 सीआर 4984 का मैकेनिक मुकदमा किया था जिस पर ताजा निशानात, कंडेक्टर साइड की लाईट, मैंन सीसा में छेद हुआ पाया, आगे का सोकेश बंपर पूरा हिला हुआ व टूटा हुआ था चालक के पीछे की तरफ गाडी पर रगड के ताजा निशानात थे। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–1 है तथा जिरह में गाडी पर रगड के निशान रैलिंग की रगड के हो सकने का कथन करते हुए घटनास्थल पर जिस मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट हुआ उसका उसके द्वारा मैकेनिकल मुआयना नहीं करने का कथन किया है।

12. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि साक्ष्य में परीक्षित गवाहान में से किसी ने भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व उस समय उक्त वाहन के चालक के बारे में कोई कथन नहीं किया है, ना ही चालक की पहचान के बारे में कोई कथन किया है। घटना के बारे में गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है, घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और ना ही चालक द्वारा लापरवाही के तरीके से वाहन चलाने के बारे में कोई साक्ष्य आया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध कतई प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

13. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होते हैं। अतः अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन करने व पत्रावली का आद्योपांत परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है किः–

14. विचारणीय बिंदु संख्या–1 के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह अभिनिर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.9.2016 को समय करीब 4.30 एनएच–8 पर कृष्णा होटल के सामने कार नंबर आरजे 14 सीआर 4984 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी के चाचा के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप परिवादी के चाचा भोलू खां की मृत्यु हो गई ?

15. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो प्रकरण परिवादी ईस्लाम खां की सूचना पर संस्थित किया गया था जो कि प्रकरण गवाह पीडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुआ है व जिरह में कथन किया है कि जिस दिन घटना घटी उस वह बेल्डिंग का काम कर रहा था व घटना उसने स्वयं की आंखों से नहीं देखने का कथन किया है। साथ ही गवाह रिपोर्ट किसने लिखी उसे

पता नहीं होना बताता है। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाह को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व तत्समय उसके चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है व उक्त गवाह स्वयं ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद नहीं करता है। प्रकरण में अन्य परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–2 गुलाब खां प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अभियोजन अधिकारी की जिरह में पुलिस द्वारा उससे एक्सीडेंट के बारे में कोई पूछताछ नहीं करना व पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग व सी से डी भाग पुलिस को नहीं देने का कथन किया है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू–4 कमरू है जो कि प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में पुलिस द्वारा उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाह पीडब्ल्यू–2 व पीडब्ल्यू–4 से कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाहों को दुघ र्टना कारित करने वाले चालक के बारे में व वाहन के नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू–3 लालचंद है जो कि पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है व अभियोजन अधिकारी की जिरह में कार संख्या आरजे 14 सीआर 4984 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो तो उसकी जानकारी में नहीं होने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू–5 अनुसंधान अधिकारी ने अभियोजन अधिकारी की जिरह में संजीव कुमार के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानने का कथन किया है जबकि संजीव कुमार प्रकरण में अभियुक्त ही नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों में गंभीर विरोधाभास प्रकट होता है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू–1 मेवाराम मैकेनिकल मुआयना कर्ता है जो कि औपचारिक प्रकृति का गवाह है।

16. इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह तो साबित होता है कि दुर्घटना हुई है परंतु किसी भी साक्षी ने न तो अभियुक्त को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक होना बताया है और ना ही किसी ने चालक को वाहन चलाते या वक्त घटना मौके पर देखने का कथन किया है और ना ही किसी भी साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान या शिनाख्त की है। इस प्रकार दुर्घटना कारित करने

वाले वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान पत्रावली पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होती है।

17. दुर्घटना के मामलों में माननीय नजीर 1990, सीआरएलआर पेज नं. 494 संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार दो बिंदु साबित होना आवश्यक है कि दुर्घटना के समय अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक था तथा वाहन को उपेक्षा या लापरवाही से चलाया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में पहचान को संदेहातीत साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उपेक्षा व लापरवाही से वाहन चलाने के बिंदु पर विस्तृत विवेचन दिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है

18. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.9.2016 को समय करीब 4.30 एनएच–8 पर कृष्णा होटल के सामने कार नंबर आरजे 14 सीआर 4984 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी के चाचा के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप परिवादी के चाचा भोलू खां की मृत्यु हो गई हो। अतः अभियुक्त अखिल कुमार मिश्रा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

19. फलतः अखिल कुमार मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद मिश्रा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 313 ए अनुकम्पा रेजीडेंसी दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पीछे शांति नगर दुर्गापुरा जयपुर, पुलिस थाना शिप्रापथ मानसरोवर, जिला जयपुर को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है, जिसका जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

21. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ महेश कुमार कुमावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
दूदू, जिला जयपुर।

27. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ महेश कुमार कुमावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
दूदू, जिला जयपुर।